5/2/2026 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र
212 RTA के तहत स्वीकार किया जाकर
जारीशुदा स्थगन आदेश को दावा के
निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। निर्णय
पृथक संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम किया जाकर दाखिल
दफ्तर हो। [signature]

Scanned with OKEN Scanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

करण सं. 40/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/114
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05/02/2026

1. जगदीश कुमारी पुत्री हुकम सिंह पत्नि श्रीपाल सिंह जाति जाट निवासी भदीरा हाल आबाद सरकारी स्कूल के पास, मजूफर, तहसील इंगलाश जिला अलीगढ (उत्तर प्रदेश)

प्रार्थी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
2. दलवीर पुत्र हुकम सिंह (मृतक)
   2/1 जगपाल पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
   2/2 गजेन्द्र पाल पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
   2/3 कुशपाल सिंह पुत्र गजेन्द्र पाल जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
   2/4 सौरभ पुत्र गजेन्द्र पाल सिंह जरिये संरक्षक पिता गजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
3. बदनी पत्नि लखन सिंह उर्फ लाखन सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
4. इन्द्रपाल सिंह पि0 लखन सिंह उर्फ लाखन सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
5. शिशुपाल सिंह पि0 लखन सिंह उर्फ लाखन सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
6. राधा पत्नि सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
7. बेवी पत्नि भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
8. अमित कुमार डे पुत्र सरोज कुमार डे जाति वैश्य निवासी फारूख (हरियाणा)
9. कमलेश पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
10. लज्जा पत्नि भोजराज जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
1. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री रामकिशन गुर्जर एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री रघुवीर शरण गुप्ता एड. (अप्रार्थी सं0 01 की ओर से)
श्री जगवीर सिंह एड. (अप्रार्थी सं0 08 की ओर से)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

:: निर्णय::

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 1636 रकवा 0.37, 1638 रकवा 0.42, 473 रकवा 0.49, 483 रकवा 0.58, 541 रकवा 0.62, 597 रकवा 0.20, 671 रकवा 0.21, 672 रकवा 0.06, 673 रकवा 0.14, 778 रकवा 0.59, 790 रकवा 0.01, 791 रकवा 0.44, 816 रकवा 0.61 कुल किता 13 रकवा 4.74 है, व खाता सं. 233 के आराजी खसरा नं. 604 रकवा 0.19, 611 रकवा 0.13, 627 रकवा 0.25, 674 रकवा 0.43, 779 रकवा 0.70, 792 रकवा 0.01 व खाता सं. 976 के आराजी खसरा नं. 1637 रकवा 0.37, 474 रकवा 0.34 किता 2 रकवा 0.71 हैक्टे. व आराजी खाता सं. 29 के आराजी खसरा नं. 484 रकवा 0.33 व खाता सं. 367 का आराजी खसरा नं. 487 रकवा 0.61 व खाता सं. 974 का खसरा नं. 1635 रकवा 0.45 व खाता सं. 968 का खसरा नं. 1585 रकवा 0.57 व खाता सं. 20 का खसरा नं. 1563 रकवा 0.10, 1591 रकवा 0.60 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जो कि प्रार्थीया के पिता हुकम सिंह पुत्र घन्टोली से प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र को समझने के लिए प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 2/1, 2/2, 3 व 4 का सजरा पत्रावली में वर्णित अनुसार है।
4. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थीया के पिता हुकम सिंह पुत्र घन्टोली प्रार्थीया के पिता को उक्त आराजी विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर व सांठ गांठ के आधार पर संवत 2028 में अपने उक्त आराजी अपने दोनों पुत्र बलवीर व दलवीर के नाम उक्त आराजी का अंकन दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड करा लिया तथा कुछ आराजी आज भी प्रार्थी के पिता हुकम सिंह के नाम इन्द्राजात चले आ रहे है और उक्त आराजी प्रार्थीया के भाई बलवीर व दलवीर ने पैतृक आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 को बेचान कर दिया है। जबकि ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जबकि उक्त आराजी संख्या 2028 से पूर्व प्रार्थीया के पिता हुकम सिंह के नाम सम्पूर्ण आराजी का रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज चले आ रहे है।
5. यह है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति की आराजी है । जिस पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण फिजूल खर्चीला व्यक्ति है। जिसके कारण से वह विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 प्रार्थना पत्र की आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा प्रार्थीया को प्रार्थीया के हक व हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अजीम क्षति होगी। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाम चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया को मुताबिक हक वाहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तहक है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के मुश्तहक है।

श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमद न करें, रहनवय मुन्ताकिल न करे, कब्जा काश्त में दखल न करें तथा प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी से बेदखल न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें एवं ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे प्रार्थी के अधिकार पर जबाल आवे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणसंख्या 1 की ओर से श्री रघुवीर शरण गुप्ता एडवोकेट तथा अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से श्री जगवीर सिंह एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ तामील बावजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली पेश है। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है-

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 के विवादित आराजी में खाता संख्या 383 में खसरा नं0 541 रकवा 0.62 वाके ग्राम भदौरा मुझ अप्रार्थी की खरीद शुदा आराजी है। जिसमें मुझ अप्रार्थी के साबिक खसरा नं. 481 रकवा 2 बी. 9 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ता0 24.11.77 को रमेशचंद पुत्र गोरधन से कीमतन 5000 रूपया मे खरीद किया था। जिस पर मुझ अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी अंकित हो रही है तथा मुझ अप्रार्थी उक्त खातेदारी की आराजी पर खातेदारी की हैसियत से विक्रय पत्र की तिथि से आज तक काबिज चला आ रहा है तथा अन्य विवादित आराजी मुझ अप्रार्थी को तथा मेरे भाई मृतक दलवीर सिंह को उनका पिता हुकम सिंह पुत्र घन्टोली अपने जीवनकाल में ही हस्तान्तरित करके मृतक दलवीर सिंह तथा मुझ अप्रार्थी को अलग-अलग आराजी पर खातेदार अंकित करा दिया तथा काबिज काश्तकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया व मुझ अप्रार्थी व मेरे भाई मृतक दलवीर के नाम जो खातेदारी अंकित हो रही है उस पर वादिनी का कोई हक नहीं बनता है।चूंकि प्रार्थीया ने हुकम सिंह के पिता घन्टोली की खातेदारी की आराजी की नकल प्रार्थीया ने पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में जब विवादित आराजी का प्रार्थीया के बाबा घन्टोली की खातेदारी की आराजी की नकल पेश नहीं की है। अब प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं है। तथा काबिल खारिजी के है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में अंकित नाम मुझ अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी पैतृक नहीं है। बल्कि मुझ अप्रार्थी के पिता हुकमसिंह अपने जीवन काल में ही विवादित आराजी को मुझ अप्रार्थी को देकर खातेदारी दर्ज करा दी थी। मुझ अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी विक्रय करने की मंशा नही है। प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार का कोई हक नहीं बनता है तथा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह है कि प्रार्थीया ने मुझ अप्रार्थी द्वारा खरीदशुदा आराजी खसरा नं. 541 रकवा 0.62 हैक्टे. को उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कर दिया है। जबकि मुझ अप्रार्थी ने इसका साबिक खसरा नं. 481 रकवा 2 बी. 9 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.11.77 को विकेता रमेश चंद पुत्र गोरधन से कीमतन खरीद किया है। उसको भी वादिनी ने मुझ अप्रार्थी को परेशान करने की गरज से गलत अंकित कर दिया है। जिससे मुझ अप्रार्थी प्रार्थीया से 10000 रूप्ये हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. यह है कि अप्रार्थी न कर्जा खानदान की हैसियत से रामवीर पुत्र टुडी को विवादित आराजी का विकय किया है तथा खरीददार रामवीर ने उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 8 को विकय कर दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त विकय पत्र को सिविल न्यायालय ही कैंसिल करने का अधिकारी है। जब तक प्रार्थीया उक्त विकय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता है। तब तक न्यायालय श्रीमान से प्रार्थीया किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

1. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजरा से संबधित ग्राम भदीरा में सरपंच व ग्राम सचिव ग्राम विकास अधिकारी नदबई से प्रमाणित कर सजरा व सजरा के साथ नोटरी पब्लिक से प्रभावित स्टाम्प नहीं लगाने की एवज में वादनी द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से जो प्रार्थना पत्र में सजरा पेश किया गया है। विधि पूर्ण व वैध तरीके से जो प्रार्थना पत्र में सजरा पेश नहीं होने के एवज में स्वीकार नहीं है।
2. यह है वादनी उक्त मद में स्वंय यह स्वीकार करती है कि संवत 2028 यानि अब से 52 वर्ष पूर्व उक्त आराजी बलवीर व दलवीर के नाम हो चुकी है और उस समय आराजी में लडकियों के हक निहित नहीं थे। लडकियों के हित 2005 में आये है तो 52 वर्ष पूर्व फोर्स मे आई आराजी को चेलेन्ज करने का अधिकार वादनी को नहीं है। वादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है तथा वादिनी उक्त मद के आगे स्वयं स्वीकार करती है कि बलवीर सिंह व दलवीर सिंह के उक्त आराजी का दीगर व्यक्तियों का रजिस्टर्ड वयनामा कराते हुए दीगर व्यक्ति से नत्थीसिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी कैलूरी तहसील नदबई पैन कार्ड नं. ए एफ सी पी एस 519 आर विकेता प्रथम तथा उक्त प्रथम पक्षकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में दिनांक 22.12.2017 पंजीयन शुल्क 67580 अ शुल्क 0 पृष्ठ शुल्क 300 रूप्ये अन्य शुल्क 0 कमी स्टाम्प शुल्क 337780 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 83 कम संख्या 20170326551102883 पर पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 58 के पृष्ठ संख्या 169 से 174 पर चस्पा किया गया। उक्त रजिस्टर्ड वयनामा को यदि वादिनी चेलेन्ज करती है तो उसे उक्त वयनामा से संबधित सक्षम न्यायालय जाना चाहिए और वह ऐसा नहीं करती हैयानि वादिनी सिविल कोर्ट चली गई है। इस बिनाय पर चूंकि न्यायालय श्रीमान को अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में किया गया वयनामा दिनांक 22.12.2017 जो उचित अफल व सोच समझकर अप्रार्थी संख्या 8 अपने पक्ष में अफल राशि 67,55,575 रूप्ये मे कराया गया है। वादिनी द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। जो काबिल खारिजी के है।चूंकि न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र श्रवण का अधिकार नहीं है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 स्वीकार नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा पेश खसरा गिरदावरी से यह साबित होता है कि प्रार्थीया का अप्रार्थी की कय शुदा आराजी पर आज व आज से पहले कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

4. यह है कि वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया है कि बलवीर व उसके भाई के नाम आराजी हुकम सिंह से संवत 2028 में आई थी यानि आज से 52 साल पूर्व और वादनी उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। 52 साल के बाद वादनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की मद में स्वयं यह स्पष्ट पहले ही कर चुकी है कि आराजी बलवीर व उसके भाई को संवत 2028 से प्राप्त हो चुकी है और अब वादनी द्वारा उक्त मद में यह भी हवाला नहीं दिया कि अप्रार्थी द्वारा आपको धमकी दी है कि आज से पहले 52 वर्ष पूर्व में आराजी प्राप्त हुई उसने या रजिस्टर्ड वयनामा जो 2017 में अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में हो उचित अफल से वादिनी सायला वैमनस्थता रखते है। आज वादनी की शादी विवाह भी ऐशोआराजी के साथ हुए और मायके में भी आज वादिनी को काफी खातेदारी की भूमि स्वयं व उसके परिवारजन पति व बच्चों को प्राप्त हुइ एक वासुदेव कुटुम्ब के तहत आप अपने पिता से जो समस्त सुख सुविधा जिसके आप और आपका पति परमेश्वर सुखचैन से रह रहे है। चूंकि अब आपके मन में बदयांति आ चुकी है। आह वादिनी यह अच्छी तरह से जानती है कि बलवीर व उसके भाई से संवत 2028 को भमि प्राप्त सैटलमेन्ट के तहत प्राप्त हो चुकी है। जिसे 52 साल पूर्व किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में जो 2017 में रजिस्टर्ड वयनामा हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवण का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम भदीरा, मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, फोटोप्रति असल वयनामा दिनांक 24.11.77, नकल नामान्तरण संख्या 186 वाके ग्राम भदीरा एवं अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम भदीरा, मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल जमाबंदी संवत 2028 भू0 प्रबंध विभाग एवं अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से फोटो प्रति वयनामा दिनांक 12.12.2017, फोटोप्रति न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी मि0 नं. 6104 दिनांक 15.07.1973 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 2004(2) माननीय उच्चतम न्यायालय मुकदमा केटकी साहू बनाम लक्ष्मी देवी वगै0 नजीर पेश किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया

1. **पृथमदृष्टया केस** :– प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 1636 रकवा 0.37, 1638 रकवा 0.42, 473 रकवा 0.49, 483 रकवा 0.58, 541 रकवा 0.62, 597 रकवा 0.20, 671 रकवा 0.21, 672 रकवा 0.06, 673 रकवा 0.14, 778 रकवा 0.59, 790 रकवा 0.01, 791 रकवा 0.44, 816 रकवा 0.61 कुल किता 13 रकवा 4.74 है. व खाता सं. 233 के आराजी खसरा नं. 604 रकवा 0.19, 611 रकवा 0.13, 627 रकवा 0.25, 674 रकवा 0.43, 779 रकवा 0.70, 792 रकवा 0.01 व खाता सं. 976 के आराजी खसरा नं. 1637 रकवा 0.37, 474 रकवा 0.34 किता 2 रकवा 0.71 हैक्टे. व आराजी खाता सं. 29 के आराजी खसरा नं. 484 रकवा 0.33 व खाता सं. 367 का आराजी खसरा नं. 487 रकवा 0.61 व खाता सं. 974 का खसरा नं. 1635 रकवा 0.45 व खाता सं. 968 का खसरा नं. 1585 रकवा 0.57 व खाता सं. 20 का खसरा नं. 1563 रकवा 0.10, 1591 रकवा 0.60 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जो कि प्रार्थीया के पिता हुकम सिंह पुत्र घन्टोली से प्राप्त हुई है। विवादित आराजी प्रार्थीया के पिता हुकम सिंह पुत्र घन्टोली प्रार्थीया के पिता को विरासतन प्राप्त हुई है। संवत 2028 में अपने उक्त आराजी अपने दोनों पुत्र बलवीर व दलवीर के नाम का अंकन दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड करा लिया तथा कुछ आराजी आज भी प्रार्थी के पिता हुकम सिंह के नाम इन्द्राजात चले आ रहे है और उक्त आराजी प्रार्थीया के भाई बलवीर व दलवीर ने पैतृक आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 को बेचान कर दिया है। प्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र अपने खातेदारी घोषणा हक व हकूकों का पुश्तैनी आराजीयात को लेकर पेश किया गया है। चूंकि वाद खातेदारी घोषणाओं को लेकर है, प्रार्थी के खातेदारी के हकों का हक वाद में तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्षकारान के दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा तब तक वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित होता है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** :– सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।
3. **अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि प्रकरण खातेदारी घोषणाओं को लेकर है तथा वाद में पूर्व में भी बेचान हो चुका है अगर स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा तथा मौके की यथास्थिति में परिवर्तन होगा तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। क्योंकि पृथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायायल द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 21.05.2025 ताफैसला मुकदमा दावे के

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05/02/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner